न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 139/2022 दायर दिनॉंक 25.04.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. सोहनी पुत्री झुमरराम, उम्र 52 वर्ष, जाति जाट, निवासी मावा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राजस्थान।	बनाम्	1. गीता देवी पुत्री झुमरराम, 2. शान्ति देवी पुत्री झुमरराम 3. रामकुंवार पुत्र झुमरराम,समस्त जाति जाट, निवासीयान मावा, तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर। 4. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

1. श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादीनी।

—:: निर्णय ::—

दिनॉंक 07.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीनी स्वर्गीय झुमरराम की जायन्दा पुत्री है तथा प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 वादीनी की सगी बहने है, जो स्वर्गीय झुमरराम की पुत्रियां है। तथा प्रतिवादी नम्बर 03 वादीनी का सगा भाई है। जो स्वर्गीय झुमरराम का जायन्दा पुत्र है, अर्थात वादीनी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 सगे भाई — बहन है। खेत खसरा संख्या 389 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा संख्या 390 रकबा 0.0800 हैक्टर व खसरा संख्या 391 रकबा 17.6200 हैक्टर वाके मावा स्थित है। जिनमें वादीनी सोहनी देवी के पिता स्वर्गीय झुमरराम का गलत नाम पूर्णाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तथा प्रतिवादीनी नम्बर 01 व 02 के पिता का नाम भी गल्ती से स्वर्गीय झुमरराम की बजाय पूर्णाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जबकि वादीनी के सगे भाई प्रतिवादी नम्बर 03 पूर्णाराम के पिता का सही नाम झुमर अंकित है। जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। खेत खसरा संख्या 370 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 371 रकबा 17.7500 हैक्टर व खसरा संख्या 526 रकबा 0.0100 हैक्टर व खसरा संख्या 527 रकबा 0.6800 हैक्टर व खसरा संख्या 528 रकबा 7.0100 हैक्टर वाके मावा स्थित है, जिनमें वादीनी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 के पिता झुमरराम की बजाय गलत अंकन पूर्णाराम पुत्र गोपीराम दर्ज हो गया है। जबकि वादीनी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 के पिता का सही नाम झुमरराम है। लेकिन गांव में कई लोग पूर्णा के नाम से पुकारते रहने के कारण यह गलत अंकन राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया, जो सरासर गलत है। पूर्णाराम पुत्र गोपीराम नाम का कोई भी व्यक्ति गांव में नहीं है तथा प्रतिवादी नम्बर 03 रामकुंवार के सभी दस्तावेजात में शुरू से लेकर आज तक पिता का नाम झुमरराम है। प्रतिवादी नम्बर 03 के पेन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविगं लाइसेन्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड, झुमरराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत मावा का प्रमाण पत्र, प्रतिवादी नम्बर 03 की कक्षा 10वीं की अंक तालिका, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र, तथा ग्राम विकास अधिकारी मावा द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि सभी दस्तावेज में प्रतिवादी नम्बर 03 के पिता का नाम झुमरराम ही दर्ज [illegible] पर ही प्रतिवादी नम्बर 03 ने खेत खसरा संख्या 379, 390, [illegible]दारी में अपने पिता के नाम की दुरूस्ती करवाकर [illegible] लिया, लेकिन वादीनी व प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 [illegible] की जगह झुमरराम दर्ज नहीं हुआ तथा इसी [illegible] रकबा 0.0100 खसरा संख्या 371 रकबा 17.700 हैक्टर, खसरा संख्या 526 [illegible] 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 527 रकबा 0.6800 हैक्टर व खसरा संख्[illegible]28 रकबा 7.0100 हैक्टर वाके मावा की खातेदारी में वादीनी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:41:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

के नाम का गलत अंकन पूर्णाराम के हो जाने के कारण वादीनी को सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में भारी अड़चने आने लग गयी है, इसलिये वादीनी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 के पिता के नाम के गलत अंकन को सही करवाना चाहती है, जिसकी कि वह कानूनन हकदार है अतः वादीनी को अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करने बाबत यह दावा करना लाजमी आया है। वादीनी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 का हित एक ही है, एक दुसरे के खिलाफ नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 के सकुनत पर हाजिर नहीं होने से उन्हे प्रोफार्मा प्रतिवादी बनाया गया है। उक्त खेतो के खातेदारो की खातेदारी यथावत रहेगी, और उनके खिलाफ कोई सहायता भी नहीं चाही है, और ना ही उनके नाम की भूमि कम या ज्यादा करवानी है, इसलिये श्रीमान तहसीदार डीडवाना को पक्षकार बनाया जाकर यह वाद पेश है।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04 बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 3 रामकुंवार ने जरिये अधिवक्ता ईकबालीया जबाब पेश किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट क्रमांक :/22/1289 दिनॉक 05.07.2022 मय सरपंच ग्राम पंचायत मावा का प्रमाण पत्र, जनआधार कार्ड शांति देवी, जनआधार कार्ड गीता देवी व सोहनी देवी का परिवार कार्ड आदि के साथ पेश हुयी, जिसे शामिल मिशल किया गया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट में सोहनी, गीता देवी, शान्ति देवी के पिता का नाम पूर्णाराम की जगह झुमरराम किया जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुयी, तथा पूर्णाराम पुत्र गोपीराम की जगह झुमरराम पुत्र गोपीराम किया जाने का उल्लेख किया है। पूर्णाराम एवं झुमरराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वादीनी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मावा के खसरा संख्या 526, 527, 528, 370, 371, 389, 390, 391 की खातेदारी में पूर्णाराम पुत्र गोपीराम की जगह झुमरराम पुत्र गोपीराम किया जाता है, तथा खसरा संख्या 389, 390, 391 वाके मावा की खातेदारी में वादीनी सोहनी देवी, प्रतिवादीनी गीता देवी, प्रतिवादीनी शान्ति देवी के पिता का नाम पूर्णाराम की जगह झुमरराम किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:41:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक 07.07.2022 को ... में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 139/2022 दायर दिनाँक 25.04.2022

वादी

1. सोहनी पुत्री झुमरराम, उम्र 52 वर्ष, जाति जाट, निवासी मावा, तहसील डीडवाना; जिला नागौर राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. गीता देवी पुत्री झुमरराम,
2. शान्ति देवी पुत्री झुमरराम
3. रामकुंवार पुत्र झुमराराम,समस्त जाति जाट, निवासीयान मावा, तहसीलदार डीडवाना जिल नागौर।
4. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 07.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादीनी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वादीनी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मावा के खसरा संख्या 526, 527, 528, 370, 371, 389, 390, 391 की खातेदारी में पूर्णाराम पुत्र गोपीराम की जगह झुमरराम पुत्र गोपीराम किया जाता है, तथा खसरा संख्या 389, 390, 391 वाके मावा की खातेदारी में वादीनी सोहनी देवी, प्रतिवादीनी गीता देवी, प्रतिवादीनी शान्ति देवी के पिता का नाम पूर्णाराम की जगह झुमरराम किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग...........—.............. बाबत....................—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर एक फरीक को जो डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:41:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner